बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा मेसर्स रामसखा चौधरी को अधवारा रिवर प्रोजेक्ट कार्यपालक अभियंता बागमती, सीतामढ़ी से संविदा अर्थ वर्क संबंधी कार्य हेतु वर्क ऑर्डर दिनांक- 20.11.2012 को हुआ जिसमें हाइड्रोलिक, डोली, ट्रैक्टर, कम्पेक्शन के माध्यम से कुल 3 करोड़ 41 लाख, 10 हजार 388 रुपया का काम किया गया। दोनों पक्षों की आपसी सहमती से डीजल की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर तय की गई जिसमें कुल डीजल की खपत 21,56,61,32 लीटर हुआ जिसका कुल कीमत 1,07,83,066 रुपया हुआ था जिसमें ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा 1 करोड़ 54 लाख 99 हजार 9 सौ 48 रुपया का भुगतान बैंक द्वारा 1 प्रतिशत टी.डी.एस. काटकर मेसर्स रामसखा चौधरी को किया गया एवं साइट मेजरमेंट से आए कुल खर्च 22 लाख 70 हजार 668 रुपया का भुगतान फर्म को दिए गए रकम में से ही करवाया गया। शेष 97 लाख 56 हजार 938.12 रुपया ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा रख लिया गया।

ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा बकाया राशि में से पार्ट पेमेंट के रूप में 12 लाख 50 हजार रुपया का भुगतान चेक संख्या- 130617 राशि 2,50,000/- रुपया दिनांक- 05.10.2016 को चेक संख्या- 130021 द्वारा 2,50,000/- रुपया दिनांक- 25.10.2016 को तीन चेक द्वारा कुल 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच संख्या- 07092, हिन्दुअन सिटी, जिला- करौली, राजस्थान, पिन कोड- 322230, आई.एफ.ए.सी. कोड एस.बी.आई.एन-0007092 का ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यशदीप गुप्ता एवं राकेश बाहरी के हस्ताक्षर से प्राप्त किया गया। जिसको मेसर्स रामसखा चौधरी ने अपनो खाता सं.- 44250200000015 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा- डुमरा, जिला- सीतामढ़ी भुगतान हेतु जमा किया परन्तु दिनांक- 21.11.2016 को फंड इनसफिसिएन्ट दर्शाते हुए शाखा प्रबंधक द्वारा रिर्टन मेमोरी के साथ मेसर्स चौधरी को वापस कर दिया गया। ज्ञात हो कि ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. एवं बागमती प्रखंड सीतामढ़ी के तत्कालीन मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता सहित कार्यालय के कर्मचारियों पर डुमरा थाना में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया जिसका कांड सं.- 332/16 है। परन्तु पुलिस द्वारा अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

अतः मेसर्स रामसखा चौधरी के बकाए राशि का शीघ्र भुगतान एवं विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता की निगरानी जांच तथा एफ.आई.आर. में दर्ज लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र कराने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 155/2017– 590 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ सिंचाई विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

28/03/17
(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

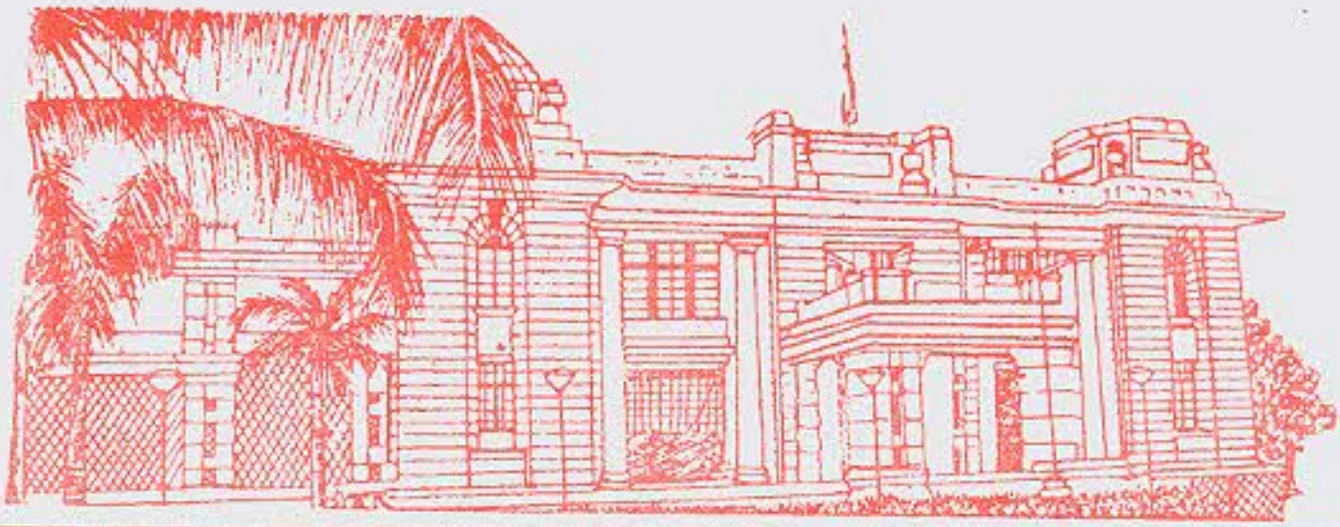

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालन्दा जिला अंतर्गत हिलसा शहर के पथ में प्रतिदिन हो रहे भीषण जाम से लोग परेशान रहते हैं। विदित हुआ है कि शहर में जाम से उत्पन्न स्थिति के निराकरण के लिए शहर के दोनों तरफ से बाईपास पथ निर्माण की योजना है और शहर के पूरब किनारे-किनारे से काफी दिन पूर्व इलाइमेन्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन यह योजना अभी तक लंबित रहने के कारण इस शहर से होकर नवादा, बिहारशरीफ, शेखपुरा आदि स्थलों से पटना आने वाली वाहन जाम में अत्यधिक समय तक फंसी रह जाती है, जिससे यात्री परेशान रहते हैं।

अत: मैं सरकार से उक्त उत्पन्न स्थिति में हिलसा शहर के दोनों ओर बाईपास पथ निर्माण कार्य कराने एवं शहर को जाम मुक्त करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हीरा प्रसाद बिंद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 127/2017– 554 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

एन.एच.- 98 से नौबतपुर से अलग होकर राजकीय राजमार्ग जो नौबतपुर से मसौढ़ी जाती है उस मार्ग पर पितमास गांव के पास पुनपुन नदी पर बहुत ही संकीर्ण और पतला पुल है और बहुत पुराना है जिसे महज एक तरफ से ही एक बार में एक गाड़ी आ-जा सकती है। यह पुल नौबतपुर और मसौढ़ी दो प्रखंडों को जोड़ती है तथा दो लाख से अधिक जनसंख्या को प्रभावित करती है।

अत: पुनपुन नदी पर इस पुल को या तो चौड़ा पुल बनाया जाए या पुराने पुल को ही चौड़ीकरण कर राजमार्ग पर होनेवाले जाम की समस्या का हल करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सी.पी. सिन्हा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 128/2017– 555 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गर्दनीबाग अस्पताल के बगल में कुड़ा का डंपिंग यार्ड बनाया गया है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र में गंभीर बिमारियों जैसे उल्टी, दस्त एवं बुखार वहां की स्थानीय आबादी को हो रहा है। डंपिंग यार्ड बनने के कारण आस-पास के मुहल्लों में 24 घंटा दुर्गंध है एवं अस्पताल भी प्रभावित हो रहा है। मुझे पता चला है कि पटना नगर निगम पहले गर्दनीबाग के इस रिहाइशी इलाके में कूड़ा डम्प करता है तत्पश्चात् उस कूड़े को सम्पतचक स्थानानतरित किया जाता है। एक ही कार्य के लिए दो बार परिवहन हो रहा है। जबकि इस कूड़े को सीधे सम्पतचक ले जाने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि गर्दनीबाग स्थित कूड़े के डंपिंग यार्ड को अविलम्ब स्थानान्तरित नहीं किया गया तो किसी गंभीर बीमारी के फैलने का खतरा है और यह खतरा बगल के हार्डिंग रोड, यारपुर मोहल्ला, साधनापुरी मोहल्ला, ढकनपुरा, सरिस्ताबाद, दमडिया आदि मोहल्लों में फैलने की आशंका है।

अत: गर्दनीबाग आवासीय मोहल्ले से डंपिंग यार्ड हटाने के संदर्भ में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रणवीर नन्दन,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 129/2017– 549 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

संजय कुमार
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य आवास बोर्ड के विज्ञापन के आलोक में दिनांक- 12.12.1972 को स्टेट बैंक में पचास रुपये जमाकर भूखंड के आवंटन के लिए मैंने विहित प्रपत्र में निबंधन हेतु आवेदन किया। पुन: अर्नेस्ट बुकिंग के लिए नियमत: मैंने दिनांक- 09.12.1978 को स्टेट बैंक के आवास बोर्ड के खाते में 2,000/- (दो हजार) रुपये जमा किए। तदुपरांत आवंटन के लिए आवास बोर्ड के निर्देशानुसार दिनांक- 23.10.1991 ई. को 21,269.00 (इक्कीस हजार दो सौ उनहत्तर) रुपये स्टेट बैंक में आवास बोर्ड के खाते में जमा किया। इसके फलस्वरूप आवास बोर्ड के पत्रांक- 2772, दिनांक- 26.09.1991 द्वारा मुझे दीघा (पटना) में मध्य आय वर्गीय भूखंड 3एम/ 222 आवंटित किया गया। किन्तु आवंटन के बावजूद उक्त भूखंड को आज तक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अत: आवंटित भूखंड 3 एम/ 222 दीघा (पटना) पर दखल-कब्जा दिलाने हेतु मैं सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामबचन राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 132/2017– 547 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लाखो आवेदन राज्य के विभिन्न जिलों में पड़े हुए हैं लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उनके भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के आवेदनकर्ताओं में सरकार एवं प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अत: राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के भुगतान हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रजनीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 133/2017– 546 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला अन्तर्गत 31 विद्यालयों को राजकीय करण समिति द्वारा आदेश पारित हुआ था कि विभाग से गैर योजना मद के माध्यम से कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु आवंटित किया गया है।

जैसा कि मधुबनी जिला में मात्र 11 विद्यालयों का अधिग्रहण हुआ है और शेष बचे विद्यालयों को अधिग्रहण सूची में छोड़ दिया गया है जबकि इन विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त है तथा सरकारी मापदंड को पूरा करती है। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी अवकाश पर चले गए हैं और इसके बदले में नए शिक्षक की नियुक्त किया जा रहा है।

अत: मधुबनी जिला के सभी 31 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 149/2017– 582 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में पेट्रोलियम, थर्मल पावर, गैसीय और एसिड उत्पादन करने वाली 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं। इन इकाइयों से केमिकल और कचरा निकलता है। कचरा जल, थल और वायु तीनों के लिए खतरनाक है। ये फैक्ट्रियां कचरे को आसपास के क्षेत्रों में फेंकती हैं। राज्य में ठोस कचरे, गैस और एसिड जैसे कचरे से केमिकल प्रदूषण हो रहा है और ई-कचरे से रेडिएशन हो रहा है। इसके खुलेआम फेंकने से राज्य के लोगों के साथ-साथ जीव-जंतु का जीवन खतरे में पड़ गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने गंभीर रूप से प्रदूषण फैलाने वाले राज्य के 123 उद्योगों को चिन्हित किया है। इसके बाद भी इन कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केमिकल और ई-कचने को लेकर 'एसोचैम' की रिर्पोट में खतरा जाहिर होने के बावजूद इनके निस्तारण के लिए राज्य में कोई यूनिट या एजेंसी कार्यरत नहीं है।

अत: मैं सरकार से राज्य में गंभीर रूप से प्रदूषण फैलाने वाले 123 उद्योगों पर कार्रवाई के साथ-साथ केमिकल और ई-कचरा के निस्तारण के लिए यूनिट बनाए जाने पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 130/2017– 553 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उद्योग विभाग, बिहार/ वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दरभंगा जिला अंतर्गत तारालाही एस.एच.-50 से सढ़बारा कनौजर घाट, पूसा पिपरी, सुक्की, महुआ-103 के बीच के पथ की दूरी 54 कि.मी. है। उक्त पथ में सढ़बारा से कनौजर घाट 08 कि.मी. पथ निर्माण का पथ है। 30 कि.मी. ग्रामीण कार्य विभाग की पक्की पथ है एवं 14 कि.मी. ग्रामीण कार्य विभाग की खरंजा पथ है। दिनांक- 12.04.2006 को तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के आयुक्त सह सचिव ने समस्तीपुर जिला कनौजर घाट से पूसा, पिपरी, सुक्की महुआ के बीच 37 कि.मी. ग्रामीण कार्य विभाग को पथ निर्माण में शामिल करने का आदेश दिए थे। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी पथ निर्माण विभाग को अपने पत्रांक- 17062 दिनांक- 19.10.2012 के द्वारा भेज दिया है। इसके पश्चात तत्कालीन सचिव पथ निर्माण विभाग के आदेश से अधीक्षण अभियंता पथ अंचल दरभंगा ने अपने पत्रांक- 1042 अनु. दिनांक- 18.09.2013 एवं 15 अनु. दिनांक- 04.01.2014 के द्वारा उक्त पथ को सर्वेक्षण की प्रत्याशा में विभाग में लंबित है। इस पथ का बन जाने से दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज आदि जिला के लोगों को पटना आने जाने में 40 कि.मी. की दूरी में कमी आएगी। उक्त पथ की स्वीकृति में विलम्ब होने से आम लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से सदन में उक्त पथ निर्माण विभाग में शामिल करने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- अर्जुन सहनी, स.वि.प. एवं
ह./- सुमन कुमार, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 131/2017– 548 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।